संख्या :240 /IV(1)/2009–390(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

डा0रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 09 अप्रैल ,2011

विषय: कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत जल संस्थान, हरिद्वार कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या–1674/iV(1)2009–390(कुम्भ)/2009 दिनांक 03.02.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत आगणन ₹ 181.23लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 168.61लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹ 86.61लाख (₹ छियासी लाख इकसठ हजार मात्र) को व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या–5074/कुम्भ–2010/लेखा/उ0प्र0प0 दिनांक 28.3.2011 के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल **उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदा की लागत ₹ 02.34लाख का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 79.66लाख (₹ उन्नासी लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2011–12 में ह0वि0प्रा0 के पी.एल.ए.** में रखी गयी धनराशि से व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
2. चूँकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविदा (न्यनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना संभावित है, अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।
3. अन्तिम किश्त का न्यूनतम निविदा (एल–1) का विवरण देकर उसी के अनुसार ही स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
4. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2012 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
8. उक्त धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के द्वारा पी.एल.ए. से करके मेलाधिकारी, हरिद्वार को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या–436/IV(1)/ 2010– 39(साम0) 2006– टी0सी0 दिनांक 25.03.2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 108.5590 करोड़ के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं.–28/XXVII(2)/2011, दिनांक 26,अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 240(1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हरिद्वार।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।